फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

चन्द्रावती भागचन्दानी C/O कोमल गुरनानी 56, शस्त्रीनगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तौड़गढ़

क़िस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 55/ 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/06/19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थीया चन्द्रावती भागचन्दानी C/O कोमल गुरनानी निवासी 56, शास्त्रीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तौड़गढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थीया को समय पर सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थीया द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक, उदयपुर) के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौडगढ (राज.)	मा.फी 26/6/19

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official